

कार्यालय दि न्यू अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि0, रामपुर।

मुख्यालय : टैकसी स्टैण्ड रोड सिविल लाईन्स रामपुर-244901 (उ0प्र0)

पत्रांक - 1204 / 2022-23

दिनांक - 29/12/2022

कार्यालय ज्ञाप

वर्तमान बैंकिंग प्रतिस्पर्धा एवं मुद्रा स्फीति को दृष्टिगत रखते हुए बैंक हित में ऋण एवं अग्रिमों की ब्याज दरों को संशोधित किया जाना अनिवार्य हो गया है। इसी क्रम में ऋण एवं अग्रिमों पर संशोधित ब्याज दरों का विवरण निम्नवत् है। निम्न ब्याज दरें दिनांक 01.01.2023 से प्रभावी होंगी।

क्र.स.	विवरण	वर्तमान ब्याज दर दिनांक 31.12.2022 तक प्रभावी।	संशोधित ब्याज दर दि0 01.01.2023 से प्रभावी
1	हाउसिंग लोन		
	1 बैंक ग्राहकों हेतु	8.75%	9.00%
	2 बैंक स्टाफ हेतु	7.00%	7.50%
2	वाहन ऋण		
	1 चार पहिया वाहन	8.75%	9.00%
	2 दो पहिया वाहन	13.00%	13.00%
	3 बैंक स्टाफ हेतु	7.00%	7.50%
	4 व्हीकल लोन ऑन फाईनेन्स	10.00%	10.00%
3	कैश क्रेडिट लिमिट/व्यवसाय ऋण/कमर्शियल रियल स्टेट		
	1 रु0 50 लाख तक	9.50%	9.75%
	2 रु0 50 लाख व अधिक	9.25%	9.50%
4	ट्रान्सपोर्ट लोन		
	1 बैंक ग्राहकों हेतु	10.50%	10.75%
	2 ट्रान्सपोर्ट लोन ऑन फाईनेन्स		12.50%
5	उपभोग लोन	13.00%	13.00%
6	व्यक्तिगत ऋण		
	1 बैंक ग्राहकों हेतु	14.50%	14.50%
	2 बैंक स्टाफ हेतु	8.00%	8.50%
7	लोन अग्रेस्ट प्रापर्टी		
	1 टर्म लोन	10.50%	10.75%
	2 क्रेडिट लिमिट	10.50%	10.75%
8	ओल्ड व्हीकल लोन		
	1 व्हीकल लोन	12.00%	12.00%
	2 ट्रान्सपोर्ट लोन	12.50%	12.50%
9	बैंक डिपोजिट लोन		
	1 व्यक्तिगत	1.00%	1.00%
	2 थर्ड पार्टी की प्रतिभूति/निक्षेप (सावधि जमा पर)	2.00%	2.00%
10	जी०एस०एल०		
	1 व्यक्तिगत	12.00%	12.00%
	2 थर्ड पार्टी की प्रतिभूति पर	12.50%	12.50%
	3 बैंक स्टाफ हेतु	7.00%	7.00%
11	माइक्रोफाईनेन्स ऋण	18.00%	18.00%

नोट :-

- प्रोफेशनल व्यक्तियों के लिए छूट 0.50 प्रतिशत।
- कैश-क्रेडिट/लैप ओ.डी. ऋणियों की सिबिल स्कोर पर निम्नवत् ब्याज दरों में छूट अनुमन्य होगी।

a.	>850	1%
b.	> = 750 < 850	0.75%
c.	> = 700 < 750	0.50%

- टॉप अप ऋण (व्यक्तिगत ऋण को छोड़कर) प्रचलित दर से 0.5 प्रतिशत अधिक रहेगा।

सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

प्रतिलिपि :-

- समस्त वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक/शाखा प्रबन्धक दि न्यू अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि0 रामपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।
- मुख्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को सूचनार्थ।
- लेखा अनुभाग मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित है कि बैंक के साफ्टवेयर में दि0 01.01.2023 से उपरोक्तानुसार ब्याज दरों को संशोधित करना सुनिश्चित करें।